पी0ओ0 संतोष कुमार पाण्डेय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, दरभंगा
आदेश दिनांक 16.04.2026

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–92/2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, दरभंगा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–92/2026

1. सोना बाबु उर्फ कृष्णा कुमार..आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

===

आवेदक की ओर से : श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्धान लोक अभियोजक,

आदेश

16-04-2026

यह अग्रिम जमानत आवेदन उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर **धारा–482 बीएनएसएस के अन्तर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविधालय थाना कांड संख्या–315/2025, अन्तर्गत धारा–137(2) एवं 87 भारतीय न्याय संहिता, में जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा** के न्यायालय में लंबित है, में अपनी गिरफ्फतारी की आशंका से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दाखिल किया है, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री श्रवण कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से आज एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन तथ्य के भूल करके समर्पित किया गया है, इस कारण आवेदक इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है, इसलिए इस अग्रिम जमानत आवेदन को उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया, इस अग्रिम जमानत आवेदन को आवेदक वापस लेना चाहते है, उसे इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
दरभंगा

WEB COPY